भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3277

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

**न्यायाधीशों की वरिष्ठता संबंधी नियुक्ति में विलंब के प्रभाव**

**3277. श्री वी. के. श्रीकंदन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक नियुक्तियों में विलंब से न्यायाधीशों की वरिष्ठता प्रभावित होती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या कर्नाटक में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राज्य में न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के मुद्दे पर जान से मारने की धमकी का सामना करना पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और इसकी कोई जांच कराई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) और (ख) :** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन और 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6, अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को रिक्तियां होने से छह

मास पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव को आरंभ करना आवश्यक है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि के कारण उद्भूत होती रहती है ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश करने के लिए सिफारिशी की ज्येष्ठता ही एकमात्र मानदंड नहीं है । सरकार केवल उन व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की जाती है ।

**(ग) से (ड.)** : कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, कर्नाटक में न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जान से मारने की धमकी का सामना करने की कोई घटना अभिलिखित नहीं की गई है । 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन राज्य के विषय है और राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपराध के निवारण, पता लगाने और अन्वेषण के लिए और विधि प्रवर्तन अभिकरणों के माध्यम से अपराधियों का अभियोजन करने के लिए उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय परिसरों में व्यवस्था बनाए रखने के साथ न्यायाधीशों की सुरक्षा और सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का है ।

**********